an>

Title: Regardingd eligibility conditions for recruitment in Indian Navy and Indian Air Force.

**श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) :** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए आपका संरक्षण चाहता हूँ।

12वीं कक्षा पास करने के बाद जो युवक भारतीय नौ सेना और भारतीय वायु सेना में भर्ती के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उसके मिनिमम अर्हतांक 50 प्रतिशत और 60 प्रतिशत तय किये गये हैं। बच्चे साल भर पढ़ाई करके तैयारी करते हैं, कोचिंग आदि लेते हैं, लेकिन जब उनको एडमिशन कार्ड इश्यू होता है, तब स्क्रूटनी के नाम पर 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को भी नहीं बुलाया जाता है।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस दिशा में उचित कार्रवाई की जाए।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

The House stands adjourned to meet again at 2.50 p.m.

**13.53 hours**

*The Lok Sabha then adjourned till Fifty Minutes past*

*Fourteen of the Clock.*

**14.53 hours**

*The Lok Sabha re-assembled at Fifty-Three minutes past*

*Fourteen of the Clock.*

(Shri K.H. Muniyappa *in the Chair*)

**MATTERS UNDER RULE 377***

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.